


कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

पचांग संशोधन

1. इस कार्यालय के पूर्व आदेश क्रमांक शिविरा/प्रारं/खेकू/स्वाशि/7509/पचांग/2019-20/222-228 दिनांक:- 22-07-2019 के द्वारा जारी पचांग में पृष्ठ सं 7 के बिन्दु संख्या 9 में प्रथम समुह खेलकूद प्रतियोगिता 13-09-2019 से 18-09-2019 में क्र.स. 5 एवं 8 में आयोजक विद्यालय के नाम में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है:-

खेल का नाम	आयोजक विद्यालय का नाम	आयोजक विद्यालय का संशोधन नाम
कुश्ती-जूडो	विवेकानन्द राप्रवि, सूरजपोल भीलवाडा कांकरोली राजसमंद	विवेकानन्द राउप्रावि, सूरजपोल भीलवाडा रोड, कांकरोली राजसमंद

2. इस कार्यालय के पत्रांक शिविरा/प्रारं/खेकू/स्वाशि/7509/पचांग/2019-20/222-228 दिनांक:- 22-07-2019 में पृष्ठ सं. 9 कुश्ती एवं जूडों (छात्र-छात्रा) 14 वर्ष आयु वर्ग हेतु निर्धारित वजन में **S.G.F.I.** (स्कूल गोम्स फेडरेशन ऑफ इण्डिया) के पत्रांक दिनांक 30.08.18 एवं इस कार्यालय के पूर्व जारी पत्रांक क्रमांक: शिविरा/प्रारं/खेकू/स्वाशि/7509/पचांग/2018-19/209 दिनांक:- 01-09-2018 के अनुसार ही वजन कैटगरी मान्य होगी। शेष शर्तें यथावत रहेगी।



 उप-निदेशक,
 प्रारंभिक शिक्षा विभाग
 राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/प्रारं/खेकू/स्वाशि/7509/पचांग/2019-20/291-292
 प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

दिनांक: 06/08/2019

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, प्रारंभिक शिक्षा, विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सहायक, शासन उप सचिव, प्रारंभिक शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. शासन सचिव, खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
6. अध्यक्ष, राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद, जयपुर।
7. निदेशक, संस्कृत शिक्षा राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि राज्य सरकार के आदेशानुसार संस्कृत शिक्षा विद्यालयों की प्रतियोगिता पृथक से पूर्व व्यवस्थानुसार करवाई जावे।
8. उपशासन सचिव, शिक्षा ग्रुप-6 विभाग, जयपुर
9. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, शासन सचिवालय, जयपुर को 11 प्रतियों में भेजकर निवेदन है कि राज्य स्तरीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिता कार्यक्रम को उपर्युक्त प्रचार-प्रसार हेतु समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित करवाने का कष्ट करावें।
10. समस्त संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा विभाग को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि इस आदेश का प्रसारण आप अपने अधीनस्थ अधिकारियों/कार्यालयों/विद्यालयों को अविलम्ब कराने का श्रम करें तथा की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत करावें।
11. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारंभिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा।
12. प्रधानाचार्य, शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, जोधपुर।
13. प्रधानाचार्य, सार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल, बीकानेर।
14. निजी सचिव, निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा (निजी अनुभाग), बीकानेर।
15. सहायक निदेशक, भारतीय खेल प्राधिकरण, जोधपुर/अलवर।
16. समस्त केन्द्राधिकारक एवं संस्था प्रधान सत्र पर्यन्त प्रशिक्षण केन्द्र।
17. वरिष्ठ सम्पादक, शिविरा पत्रिका, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर को शिविरा के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
18. समस्त संयोजक सचिव/संस्था प्रधान, आयोजक राज्य स्तरीय विद्यालयी प्रतियोगिता।

19. समस्त उप जिला शिक्षा अधिकारी (शाशि) सम्बन्ध कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) प्रारंभिक/माध्यमिक शिक्षा।
20. समस्त संस्था प्रधान भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा अपनाये गये विद्यालय।
21. संस्था प्रधान खेल छात्रावास वोकेशनल मावि, कोटा/नूतन सीमावि, बांसबाड़ा।
22. अनुभाग अधिकारी, शालादर्पण कार्यालय हाजा को शालादर्पण पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।
23. विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
24. रक्षित पत्रावली।


उप-निदेशक,
प्रारंभिक शिक्षा विभाग
राजस्थान, बीकानेर